रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 1985/माघ 12, 1906
No. 44] NEW DELHI, FRIDAY, FEB. 1, 1985/MAGHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1985

सं. 12/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 63(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (द्वितीय संशोधन) नियम, 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 56-क के उप-नियम (3) में,—

(1) खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) में "या मरम्मत के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(2) खण्ड (8) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "कलक्टर" शब्द रखा जाएगा ।

[फा. सं. 211/38/84-के.उ.शु.-6]

वी. के. पुरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1985

No. 12|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 63(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1)These rules may be called the Central Excise (2nd Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 56A, in sub-rule (3),—

(i) in clause (iii), in sub-clause (b), the words "or for repairs" shall be omitted;

(ii) in clause (viii), for the words "Central Government" the word "Collector" shall be substituted.

[F. No. 211|38|84-CX6]

V. K. PURI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985